भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1090

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

विझिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के लिए वीजीएफ का पुनर्भुगतान

1090. एडवोकेट अद्वूर प्रकाश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विझिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के पुनर्भुगतान खंड को रद्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)**से (घ):** विझिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पीपीपी परियोजना की अनुमोदित वित्तीय व्यवस्था के अनुसार, केरल सरकार (जीओके) को वर्ष 2034 से भारत सरकार के साथ राज्य सरकार को रियायतग्राही से मिलने वाले प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा साझा करना होगा। इस तरह के प्रीमियम का शेष 80 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा रखा जाएगा।

केरल सरकार और भारत सरकार के बीच इस प्रीमियम की साझेदारी के अधित्याग के लिए केरल सरकार के अनुरोधों पर दिनांक 27/6/22 और 27/7/24 की अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और इसे स्वीकार नहीं किया गया। पुनः अक्तूबर 2024 में इस प्रीमियम साझाकरण के अधित्याग का अनुरोध प्राप्त हुआ। विचार-विमर्श के बाद, इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि प्रीमियम साझा करना व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) सहायता के लिए सैद्धांतिक और अंतिम अनुमोदन की शर्तों में से एक था।

*****